सं॰ 1/20012/4/92-रा.भा. (नी-1)

दिनांक: 24.11.98

संकल्प

राजभाषा अधिनियम, 1983 की धारा 4(1) के अधीन संसदीय राजभाषा समिति गठित की गई थी। समिति द्वारा संविधान की भाषा तथा विभिन्न न्यायालयों और न्यायधिकरणों में प्रयोग की जाने वाली भाषा से संबंधित प्रतिवेदन का 5वां खण्ड राष्ट्रपति जी को प्रस्तुत किया गया था। राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 4(3) के अनुसार इसे लोकसभा के पटल पर तथा राज्य सभा के पटल पर रखा गया था। इसकी प्रतियां भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों तथा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों को भेजी गयी। इस संबंध में राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों की सरकारों एवं विभिन्न मंत्रालयों/विभागों/संस्थाओं के अतिरिक्त भारत के उच्चतम न्यायालय से प्राप्त मत पर विचार करने के उपरान्त वर्तमान विधि व्यवस्थाओं तथा व्यवहारिकर्ताओं को ध्यान में रखते हुए समिति की कुछ सिफारिशों को मूल रूप में कुछ को सिद्धांत रूप में कुछ को आंशिक रूप में स्वीकार करने का कुछ को स्वीकार्य पाया गया है तथा कुछ का अस्वीकार करने का निर्णय लिया गया है। तद्नुसार अधोहस्ताक्षरी को राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 4(4) के अधीन समिति के प्रतिवेदन की सिफारिशों पर राष्ट्रपति के निम्नलिखित आदेश सूचित करने का निदेश हुआ है—

''यह सिफारिश सिद्धांतरूप से स्वीकार कर ली गई है। अत: इस पर आगामी विचार एवं कार्रवाई करने के लिए ''क'' क्षेत्र में स्थिति सभी राज्य सरकारों को भेज दिया जाये।''

संस्तुति सं॰ (8)

जहां तक अहिन्दीभाषी राज्यों का संबंध है वहां विधेयकों आदि का मूल प्रारूपण राज्य की राजभाषा में हो और उनका अनुवाद हिन्दी तथा अंग्रेजी दोनों में हो। राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा-6 में भी इस आशय का मामूली संशोधन कर दिया जाए।

''संस्तुति सिद्धांत रूप से स्वीकार कर ली गई है। इस पर आगामी विचार एवं कार्रवाई करने के लिए ''ख'' तथा ''ग'' क्षेत्र की राज्य सरकारों को भेज दिया जाए।''

संस्तुति सं॰ (9)

संघ की राजभाषा हिन्दी है और अहिन्दी भाषी राज्यों के विधायी प्रारूपण मूल रूप से राज्य की राजभाषा में या हिन्दी में हों इसलिए संघ सरकार को राज्य सरकार के अधिनियमों आदि के हिन्दी अनुवाद में सहायता प्रदान करनी चाहिए या इस कार्य को करने के लिए अहिन्दी भाषी राज्यों को वित्तीय सहायता देनी चाहिए।

''अहिन्दी भाषी राज्यों के विधायी प्रारूपण का हिन्दी अनुवाद तैयार करने के लिए राज्य सरकारें अपने कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम बनाने पर विचार करें तथा केन्द्र सरकार की विधायी विभाग ऐसे प्रशिक्षण के लिए आर्थिक योगदान उपलब्ध कराने की परियोजना बनाए।''

संस्तुति सं॰ (10)

भारत सरकार का विधायी विभाग अपने प्रारूपकारों के समुचित प्रशिक्षण की व्यवस्था करें ताकि वे विधेयकों आदि का मूल प्रारूपण हिन्दी में कर सकें। इसके लिए यह आवश्यक है कि विधि का हिन्दी में कार्य करने के लिए पृथक विभाग बनाया जाए। योग्य और अनुभवी लोगों को आकर्षित करने के लिए हिन्दी और भारतीय भाषाओं के प्रारूपकारों को भारतीय विधिक सेवा में एक पृथक अंग के रूप में सम्मिलित किया जाए।

''यह संस्तुति इस संशोधन के साथ स्वीकार कर ली गई है कि भारत सरकार का विधायी विभाग, विधि विशेषज्ञों/प्रारूपकारों को विधिक सामग्री का मूल प्रारूपण हिन्दी में करने के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था करें।

3. लोक सभा और राज्यसभा सचिवालयों द्वारा संघ की राजभाषा नीति का अनुपालन

संस्तुति सं॰ (11)

लोकसभा और राज्यसभा के सचिवालयों द्वारा अपने कर्मचारियों की सेवा शर्तों आदि से संबंधित प्रशासनिक मामलों पर कार्रवाई की स्थिति वही है जो केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों की है इसलिए इन सचिवालयों को भी प्रशासनिक कार्यों के लिए भारत सरकार के राजभाषा विभाग द्वारा जारी किए गए वार्षिक कार्यक्रमों के समान अपने दैनंदिन कार्य में हिन्दी के प्रयोग के लिए वार्षिक कार्यक्रम बनाने चाहिए और इन कार्यक्रमों के क्रियान्वयन पर नियंत्रण रखने के लिए अपना तंत्र स्वयं स्थापित करना चाहिए।

''समिति की यह संस्तुति स्वीकार्य पाई गई है। संसद की दोनों सभाओं के अध्यक्ष महोदयों से अनुरोध किया जाता है कि वे इस संस्तुति को क्रियान्वित करने के लिए विचार करने की कृपा करें।

4. उच्चतम न्यायालय के महा रजिस्ट्रार के कार्यालय में राजभाषा नीति का अनुपालन

संस्तुति सं॰ (12)

उच्चतम न्यायालय के महा-रजिस्ट्रार के कार्यालय को अपने प्रशासनिक कार्यों में संघ सरकार की राजभाषा नीति का अनुपालन करना चाहिए। वहां हिन्दी में कार्य करने के लिए आधारभूत संरचना स्थापित की जानी चाहिए। और इस प्रयोजन के लिए अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रोत्साहन दिए जाने चाहिए।

''संस्तुति'' स्वीकार्य पाई गई है। इसके अनुरूप सर्वोच्च न्यायालय की आंतरिक प्रशासनिक कार्य व्यवस्था में राजभाषा नीति चरणबद्ध तरीके से अपनाने के लिए विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय, सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श से, एक व्यावहारिक कार्य योजना तैयार करे तथा उसे क्रियान्वित करने पर विचार करें।

5. उच्चतम न्यायालय के निर्णयों में भाषा का प्रयोग

संस्तुति सं॰ (13)

उच्चतम न्यायालय में अंग्रेजी के साथ-साथ हिन्दी का प्रयोग प्राधिकृत होना चाहिए। प्रत्येक निर्णय दोनों भाषाओं में उपलब्ध हो। उच्चतम न्यायालय द्वारा हिन्दी और अंग्रेजी में निर्णय दिया जा सकता है। यदि निर्णय हिन्दी में सुनाया गया हो तो उसका अंग्रेजी अनुवाद करके और यदि अंग्रेजी में सुनाया गया हो तो उसका हिन्दी अनुवाद करके ऐसा किया जा सकता है।

''यह संस्तुति स्वीकार्य पाई गई है। विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय इस संस्तुति के परिप्रेक्ष्य में सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श से उस न्यायालय के लिए उन अतिरिक्त व्यवस्थाओं तथा संसाधनों एवं उस पर होने वाले खर्चे का आंकलन करें जो कि इस संस्तुति को अपनाने के लिए आवश्यक होगा। साथ ही, इसके लिए एक दीर्घकालीन कार्य योजना बनाकर उसे क्रियान्वित करने पर विचार हो।''

6. **उच्चतम न्यायालय/उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों द्वारा प्रशासनिक कार्यों में हिन्दी का प्रयोग**

संस्तुति सं॰ (14)

उच्चतम न्यायालय और विभिन्न उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों और अन्य अधिकारियों को अपने प्रशासनिक और न्यायिक कार्यों में हिन्दी का प्रयोग करने के संबंध में प्रोत्साहित करने के लिए एक योजना शुरू की जानी चाहिए। इस प्रयोजन के लिए संगोष्ठियों, कार्यशालाओं, पुनश्चर्या पाठ्यक्रमों प्रशिक्षण कार्यक्रमों आदि का आयोजन किया जाना चाहिए।

''यह सिफारिश इस संशोधन के साथ स्वीकार की जाती है कि इसे ''क'' क्षेत्र में स्थित उच्च न्यायालयों के परिप्रेक्ष्य में संबंधित राज्य सरकारों की आवश्यक विचार एवं कार्रवाई के लिए भेज दिया जाए तथा अन्य उच्च न्यायालयों तथा सर्वोच्च न्यायालय के परिप्रेक्ष्य में उचित समय आने पर संबंधित राज्य सरकारें तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय इस पर कार्रवाई करने पर विचार करे।''

संस्तुति सं॰ (15)

एक ऐसा संस्थान या संगठन स्थापित किया जाना चाहिए जो न्यायिक अधिकारियों अधिवक्ताओं और विधि-शिक्षकों को विधि के क्षेत्र में अर्थात् विधायन, न्यायिक कार्य और विधि शिक्षा के लिए हिन्दी के प्रयोग का प्रशिक्षण दे।

''इस संस्तुति को सिद्धांत रूप में स्वीकार किया जाता है। भारत सरकार के विधायी विभाग द्वारा इस दिशा में आवश्यक पहल की जाए।

7. **उच्च न्यायालयों के निर्णयों/कार्यवाहियों में भाषा रूप का प्रयोग**

संस्तुति सं॰ (16)

उच्च न्यायालयों के निर्णय प्रतिक्रियों व आदेशों में राज्य की राजभाषा अथवा हिन्दी का प्रयोग किया जाना चाहिए। किन्तु यह व्यवस्था भी की जानी चाहिए कि प्रत्येक निर्णय का प्राधिकृत अनुवाद दोनों भाषाओं में उपलब्ध हो। जब तक अंग्रेजी का प्रचलन बना रहता है तब तक इनका प्राधिकृत अनुवाद अंग्रेजी में सुलभ कराने की व्यवस्था की जा सकती है। तथापि उच्च न्यायालयों की कार्यवाहियां राज्य की राजभाषा अथवा हिन्दी में या अंग्रेजी में की जा सकती हैं।

''इस संस्तुति पर संविधान तथा राजभाषा अधिनियम, 1963 के वर्तमान प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई करने की वर्तमान नीति पर्याप्त है।''

संस्तुति सं॰ (17)

अहिन्दी भाषा राज्यों में भी संबंधित राज्य की राजभाषा में दिए गए निर्णयों का प्राधिकृत हिन्दी अनुवाद कराने के लिए संघ सरकार संबंधित राज्य सरकारों को विशेष वित्तीय सहायता प्रदान करें।

''अहिन्दी भाषी राज्यों में भी संबंधित राज्य को राजभाषा में दिए गए निर्णयों का प्राधिकृत पाठ हिन्दी में उपलब्ध करवाने के लिए राज्य सरकारें स्वयं अपने वित्तीय संसाधनों का श्रेष्ठतम उपयोग कर इस दिशा में कार्य करें।

8. **संघ के न्यायिक कल्प संगठन, प्रशासनिक अभिकरण आदि में राजभाषा नीति का अनुपालन**

संस्तुति सं॰ (18)

संघ के न्यायिक कल्प संगठन प्रशासनिक अधिकरण आदि केन्द्रीय सरकार के अंग हैं और केन्द्रीय सरकार के नियंत्रणधीन हैं। इसलिए उन्हें भी अन्य केन्द्रीय सरकारी कार्यालयों की तरह अपना कामकाज राजभाषा अधिनियम, 1963 तथा उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार करना चाहिए। कुछ न्यायिक कल्प निकायों के नियमों में या उनसे संबंधित सभी अधिनियमों और नियमों में तुरन्त संशोधन करके उनमें संघ की राजभाषा हिन्दी के प्रयोग की व्यवस्था की जाए।

''यह संस्तुति स्वीकार्य पाई गई है। प्रत्येक मंत्रालय/विभाग अपने कार्य क्षेत्र में नए न्यायिक कल्प संगठन/निकायों, प्रशासनिक प्राधिकरणों इत्यादि की स्थापना करते समय उनमें संघ की राजभाषा नीति का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए अपेक्षित प्रावधान सदैव बनाए। सरकार

का हर विभाग/मंत्रालय अपने नियंत्रणाधीन एवं वर्तमान में कार्यरत अर्द्ध-न्यायिक निकायों इत्यादि में राज्यभाषा नीति के अनुकूल प्रावधान करने के लिए भी आवश्यक कदम उठाएं।

9. **हिन्दी माध्यम से विधि की शिक्षा**

संस्तुति सं॰ (19)

हिन्दी के माध्यम से भी स्नातक स्तर और स्नातकोत्तर स्तर पर विधि की शिक्षा की व्यवस्था पूरे देश में सभी विश्वविद्यालयों तथा अन्य विधि के क्षेत्र में कार्यरत संस्थाओं को करनी चाहिए। इस समय भी अनेक विश्वविद्यालयों द्वारा हिन्दी में विधि शिक्षा प्रदान की की जा रही है। इसका विस्तार होना चाहिए।

''समिति की इस संस्तुति पर शिक्षा विभाग चरणबद्ध रूप से अपेक्षित कार्रवाई करें।''

संस्तुति सं॰ (20)

अन्य भाषाओं में उपलब्ध विधि के गौरव-ग्रंथों का हिन्दी में अनुवाद कराने के कार्य में तेजी लानी चाहिए।

''समिति की यह सिफारिश मान ली गई है। विधि कार्य विभाग इस दिशा में आवश्यक कदम उठाए।''

संस्तुति सं॰ (21)

यह भी आवश्यक है कि उच्चतम न्यायालय के सभी प्रतिवेध निर्णयों को हिन्दी में अनुवादित कर विधायी विभाग की पत्रिका में प्रकाशित किया जाए। इसी प्रकार विभिन्न उच्च न्यायालयों द्वारा दिए गए प्रतिवेध निर्णयों की भी अधिकाधिक संख्या में अनुवाद करके उन्हें हिन्दी में प्रकाशित किया जाना चाहिए।

''समिति की यह संस्तुति सिद्धांत रूप से मान ली गई है। विधायी विभाग इस दिशा में प्रारम्भिक प्रयास के लिए आवश्यक कदम उठाए।''

संस्तुति सं॰ (22)

दिल्ली में एक पुस्तकालय स्थापित किया जाना चाहिए जिसमें विभिन्न भारतीय भाषाओं का अधिकतकम उवं अद्यतन विधि साहित्य उपलब्ध हो।

''यह संस्तुति स्वीकार्य पाई गई है तथापि विधि और न्याय मंत्रालय संबंधित संगठनों के परामर्श से प्रस्तावित पुस्तकालय स्थापित करने की एक समयबद्ध योजना बनाए और उस पर कार्रवाई करें।''

हस्ता/-
(देव स्वरूप)
संयुक्त सचिव, भारत सरकार

आदेश

इस संकल्प की एक प्रति भारत सरकार के सभी मंत्रालयों तथा विभागों सभी राज्य सरकारों तथा संघ शासित क्षेत्रों में राष्ट्रपति तथा उप-राष्ट्रपति, सचिवालय, मंत्रिमंडल सचिवालय, प्रधानमंत्री कार्यालय, योजना आयोग भारत के महालेखा नियंत्रक, परीक्षक, लोकसभा तथा राज्यसभा सचिवालय उच्चतम न्यायालय के महा रजिस्ट्रार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विधि आयोग, बार काउंसिल ऑफ इंडिया आदि को भेजी जाएं।

इस संकल्प को आम जानकारी के लिए भारत के राजपत्र में भी प्रकाशित करवाया जाए।

हस्ता/-
(देव स्वरूप)
संयुक्त सचिव, भारत सरकार

का हर विभाग/मंत्रालय अपने नियंत्रणाधीन एवं वर्तमान में कार्यरत अर्द्ध-न्यायिक निकायों इत्यादि में राज्यभाषा नीति के अनुकूल प्रावधान करने के लिए भी आवश्यक कदम उठाएं।

9. **हिन्दी माध्यम से विधि की शिक्षा**

संस्तुति सं॰ (19)

हिन्दी के माध्यम से भी स्नातक स्तर और स्नातकोत्तर स्तर पर विधि की शिक्षा की व्यवस्था पूरे देश में सभी विश्वविद्यालयों तथा अन्य विधि के क्षेत्र में कार्यरत संस्थाओं को करनी चाहिए। इस समय भी अनेक विश्वविद्यालयों द्वारा हिन्दी में विधि शिक्षा प्रदान की की जा रही है। इसका विस्तार होना चाहिए।

''समिति की इस संस्तुति पर शिक्षा विभाग चरणबद्ध रूप से अपेक्षित कार्रवाई करें।''

संस्तुति सं॰ (20)

अन्य भाषाओं में उपलब्ध विधि के गौरव-ग्रंथों का हिन्दी में अनुवाद कराने के कार्य में तेजी लानी चाहिए।

''समिति की यह सिफारिश मान ली गई है। विधि कार्य विभाग इस दिशा में आवश्यक कदम उठाए।''

संस्तुति सं॰ (21)

यह भी आवश्यक है कि उच्चतम न्यायालय के सभी प्रतिवेध निर्णयों को हिन्दी में अनुवादित कर विधायी विभाग की पत्रिका में प्रकाशित किया जाए। इसी प्रकार विभिन्न उच्च न्यायालयों द्वारा दिए गए प्रतिवेध निर्णयों की भी अधिकाधिक संख्या में अनुवाद करके उन्हें हिन्दी में प्रकाशित किया जाना चाहिए।

''समिति की यह संस्तुति सिद्धांत रूप से मान ली गई है। विधायी विभाग इस दिशा में प्रारम्भिक प्रयास के लिए आवश्यक कदम उठाए।''

संस्तुति सं॰ (22)

दिल्ली में एक पुस्तकालय स्थापित किया जाना चाहिए जिसमें विभिन्न भारतीय भाषाओं का अधिकतकम उवं अद्यतन विधि साहित्य उपलब्ध हो।

''यह संस्तुति स्वीकार्य पाई गई है तथापि विधि और न्याय मंत्रालय संबंधित संगठनों के परामर्श से प्रस्तावित पुस्तकालय स्थापित करने की एक समयबद्ध योजना बनाए और उस पर कार्रवाई करें।''

हस्ता/-
(देव स्वरूप)
संयुक्त सचिव, भारत सरकार

आदेश

इस संकल्प की एक प्रति भारत सरकार के सभी मंत्रालयों तथा विभागों सभी राज्य सरकारों तथा संघ शासित क्षेत्रों में राष्ट्रपति तथा उप-राष्ट्रपति, सचिवालय, मंत्रिमंडल सचिवालय, प्रधानमंत्री कार्यालय, योजना आयोग भारत के महालेखा नियंत्रक, परीक्षक, लोकसभा तथा राज्यसभा सचिवालय उच्चतम न्यायालय के महा रजिस्ट्रार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विधि आयोग, बार काउंसिल ऑफ इंडिया आदि को भेजी जाएं।

इस संकल्प को आम जानकारी के लिए भारत के राजपत्र में भी प्रकाशित करवाया जाए।

हस्ता/-
(देव स्वरूप)
संयुक्त सचिव, भारत सरकार